



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी डॉ. गरिमा शर्मा RAS)

प्रकरण संख्या :- 192/2024

जी.सी.एम.एस. संख्या :- 2024/303

1. सुखदेवी पत्नी सोमनाथी
2. केशव पुत्र बकशीराम
3. बरकतलाल पुत्र बकशीराम
4. लालचंद पुत्र बकशीराम
5. शंकरलाल पुत्र बकशीराम
6. शंकर पुत्र प्रभू
7. सत्यनारायण पुत्र रामानन्द

समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी राजपुरा तहसील तूंगा जिला जयपुर।

8. श्रीमति शर्मा पत्नी शिवप्रकाश शर्मा

9. पृथा शर्मा पत्नी ओमप्रकाश शर्मा

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी 407, बरकतनगर, टोक फाटक, जयपुर।



1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तूंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर।
2. महेशचन्द्र पुत्र माधो
3. सियाराम पुत्र माधो

बनाम

-प्रार्थीगण:-

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी राजपुरा, तहसील तूंगा, जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956

-अप्रार्थीगण:-

उपस्थित-श्री सुधीर शर्मा, एडवो-प्रार्थीगण।

-निर्णय-

दिनांक 29/08/2025

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 30/6 रकबा 1.0116 है, खसरा नम्बर 30/7 रकबा 1.0116 है 0 वाके ग्राम रामपुरा उर्फ चण्डालिया पटवार हल्का पाटन तहसील तूंगा जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का तहसीलदार तूंगा के आदेश की पालना में हल्का पटवारी ने दिनांक 13.06.2024 को नियमानुसार सीमा ज्ञान करवा लिया था एवं प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी नय पुलिस जाप्ता करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 30/6 रकबा 1.0116 है, खसरा नम्बर 30/7 रकबा 1.0116 है 0 वाके ग्राम रामपुरा उर्फ चण्डालिया पटवार हल्का पाटन तहसील तूंगा जिला जयपुर की दिनांक 13.06.2024 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के मुताबिक मय पुलिस जाप्ता पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/रजि० डाक एडी तलब किया गया। बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार तूंगा पत्रांक भूअ./2025/2510 दिनांक 03.07.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई जो शामिल मिशाल है।

3. अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौरान-ए-बहस प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगणया स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाईश दिनांक 13.06.2024 के अनुसार पत्थरगढी के आदेश जारी करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने पुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 खाता संख्या नया 91 खसरा नम्बर 30/6 रकबा 1.0116 है, खसरा नम्बर 30/7 रकबा 1.0116 है 0 वाके ग्राम रामपुरा उर्फ चण्डालिया पटवार हल्का पाटन तहसील तूंगा जिला जयपुर की नकल पेश की।

4. बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 खाता संख्या नया 91 खसरा नम्बर 30/6 रकबा 1.0116 है, खसरा नम्बर 30/7

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

कानूनी 1.0116 है 0 वाके ग्राम रामपुरा उर्फ चण्डालिया पटवार हल्का पाटन तहसील तूंगा जिला जयपुर के
विकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी होना सावित है। साथ ही
सेलनन रिपोर्ट पैमाईश दिनांक 13.06.2024 व तहसीलदार रिपोर्ट द्वारा दिनांक 03.07.2025 पेश रिपोर्ट से भी
ह तथ्य प्रार्थीगण सावित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार तूंगा के माध्यम से हल्का पटवारी से दिनांक
3.06.2024 को विवादित आराजी की पैमाईश कराई जा चुकी है। जिसके नोर्स इस प्रकार है कि :-

ec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any
boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of
the existing survey maps and where this is not possible or such maps are not available, on the basis
of actual possession.

2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land records officer is unable
to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been
obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months
previous to the shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and
shall then fix the boundary accordingly-

ec.128. Boundary disputed- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land
records Officer in the manner laid down in section 111.

क्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की कब्जेकास्त की खातेदारी भूमि है, जिसका प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान
रवाया जा चुका है। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी के आदेश जारी किया
ना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 जमाबंदी सम्वत्
2073 से 2076 खाता संख्या नया 91 खसरा नम्बर 30/6 रकबा 1.0116 है 0, खसरा
नम्बर 30/7 रकबा 1.0116 है 0 वाके ग्राम रामपुरा उर्फ चण्डालिया पटवार हल्का पाटन
तहसील तूंगा जिला जयपुर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार तूंगा को आदेश जारी
किये जाते है कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थीगण के खर्चे पर पक्षकारान की उपस्थिति में
विवादित आराजी की पैमाईश कर धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सीमाज्ञान
दिनांक 13.06.2024 के अनुसार कायम करने हेतु संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एवं
उस भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र के तीन पटवारीगणों की संयुक्त टीम गठित की जाकर
यदि मौके पर कानून व्यवस्थार्त पुलिस जाप्ता की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाना
से पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त कर न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में नियमानुसार
पत्थरगढी कराने की कार्यवाही करें। यहां यह स्पष्ट है कि यह आदेश केवल सीमाज्ञान
एवं सीमाचिन्ह कायम करने हेतु है। इस आदेश की पालना में किसी भी पक्ष को जबरन
बेदखल कर दूसरे पक्ष को कब्जा न दिलाया जावे। तहसीलदार तूंगा को पालना हेतु
निर्णय प्रति भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली
नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।



(डॉ. गरिमा शर्मा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्ती
जिला जयपुर